

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया समझिए। आप यह मामले उठा सकते हैं लेकिन आज नहीं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** डॉ. शकील अहमद मैं आपको कल अनुमति दूंगा, आज नहीं। मैं आपको अभी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** श्री आर. मुथैया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री आर. मुथैया :** इसके विरोध में हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

**अपराहन 1.18 बजे**

इस समय श्री आर. मुथैया और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रामानन्द सिंह, आपने पूर्व सूचना दी है। मैंने मामले के तथ्य मंगाए हैं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे।

**प्रो. पी. जे. कुरियन (मवलीकारा) :** आपके मंत्री सभा से बाहर चले गए हैं। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** सभा में कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

**प्रो. पी. जे. कुरियन :** हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** प्रो. कुरियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

**श्री ठीको (शिवकारी) :** आप उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं ?  
... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया आँखो देखा हाल न सुनायें।

**अपराहन 1.21 बजे**

**राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — जारी**

[हिन्दी]

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर दूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर मुझे नहीं देना है, सुषमा स्वराज को उत्तर देना है। मैं तो बहस में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। लेकिन भाषण से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देने जा रहे हैं इसके साथ ही हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। उनका कैंटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है जो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है, थोड़े दिनों में वे दिल्ली वापस आ जाएँगे। हम उनके लम्बे जीवन की भी कामना करते हैं। हमारे दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री जी भी इस समय इलाज के लिए विदेश गये हुए हैं। वे जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएँ, यह मेरी कामना है और मैं समझता हूँ कि सारा सदन इसमें सहयोग देगा।

इस चर्चा में लगभग 40 सदस्यों ने भाग लिया और सभी विषयों का समावेश हुआ, विस्तार से चर्चा हुई। मुझे दुख है कि मैं चर्चा के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित नहीं हो सका। मैं मानता हूँ कि मुझे यहाँ रहना चाहिए था।

**श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) :** आपके मिनिस्टर आ गये।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** इससे यह गलत साबित हो गया कि उन्होंने वॉक-आउट किया था। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण किया गया है। उसमें न तो संस्कार की उपलब्धियों का बढ़ा-चढ़ाकर बखान किया गया है और न ही हवाई वायदे किये गये हैं। हमारी सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है और इस एक साल में हमने स्थिति को सुधारने की कोशिश की है और स्थिति में सुधार हुआ भी है। हमारे कट्टर से कट्टर आलोचक भी यह मानते हैं कि सरकार के बारे में जो भविष्य वाणियाँ की जाती थीं, कि सरकार टूट जाएगी, अपने आप बिखर जाएगी, वे भविष्यवाणियाँ सच साबित नहीं हुईं। सरकार का बहुमत हमने सदन में सिद्ध किया है, आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफलता पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में मिलीजुली सरकारों का प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुआ है और हम इसे सफल करने में लगे हैं। अब एक पार्टी का बर्चस्व होगा, ऐसा दिखाई नहीं देता है। अखिल भारतीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करना होगा। क्षेत्रीय दल सचमुच में अखिल भारतीय दलों की कुछ कमियों के कारण इतने प्रभावशाली हुए हैं। प्रदेशों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करना, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करना राष्ट्रीय दलों के लिए कठिन होता है। क्षेत्रीय दल तृणमूल से जुड़े होते हैं। और वे उस क्षेत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देश विविधता से भरा है। इसकी

विविधता विभिन्नता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रकट होती है, होनी चाहिए। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हमने सरकार बनाने का निश्चय किया। मिली-जुली सरकार चलाना एक कठिन काम है, लेकिन लोकतंत्र में यह कठिन काम भी करना पड़ता है। हम जिन के साथ मिल कर चुनाव लड़े थे, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। प्रश्न केवल सत्ता के बंटवारे का नहीं है। पंजाब में अकाली दल के साथ हमारा सहयोग केवल सत्ता के लिए नहीं है। वहां भाईचारा बना रहे, इस दृष्टि से वह बड़ा उपयोगी है। यह बात और क्षेत्रों पर भी लागू होती है। हम इस प्रयोग को सफल बनाना चाहते हैं। आशा है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, साल भर पहले जो स्थिति थी, वह स्थिति बदल गई है। मौसम में परिवर्तन हो गया है। पोखरण के परीक्षण के बाद यह प्रयत्न किया गया था कि भारत को अलग-थलग कर दिया जाए। ... (व्यवधान)

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : लेकिन इसके बाद आपकी चुनावों में हार हुई। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शकील अहमद, कृपया व्यवधान न डालें। यह क्या है ?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शकील अहमद, आप अनावश्यक रूप से सभा के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, हमें विश्व में अकेला करने का प्रयास हुआ था। आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गए थे। यह उम्मीद की जाती थी कि भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने भारत की सुरक्षा की आवश्यकताओं का अनुभव करके पोखरण का विस्फोट किया। आज जो भी विदेशी भारत आता है और जो विदेशी मेहमान हम से दूर-दूर रहते थे, आज वे आने के बाद यह नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया ? वह हमारे साथ व्यापार की बातें करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की बातें करना चाहते हैं। हमारे सुरक्षा के तकाजों के बारे में उनमें एक नई समझ-बूझ पैदा हुई है। हमारा परमाणु परीक्षण केवल शौर्य प्रदर्शन के लिए नहीं था। हमारी सुरक्षा की आवश्यकता उसके साथ जुड़ी हुई थी। आज इस बात को अच्छे से अच्छे ढंग से समझा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा देश समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक माननीय सदस्य के भाषण को पढ़ कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत

की आवाज नहीं सुनी जाती। उन्होंने यह भी कहा कि सार्क देशों के साथ हमारे सम्बंध अच्छे नहीं हैं।

यह अनावश्यक आलोचना है। हम आलोचना का स्वागत करते हैं। निन्दका ये घर असावशे जारी — यह मराठी में एक कहावत है। "निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय।" आलोचना करने वाले को अपने पास रखो क्योंकि हां में हां मिलाने वाले आपका फायदा नहीं करेंगे। लेकिन आलोचना तथ्यपरक होनी चाहिए। सार्क के सभी देशों के साथ हमारे संबंधों में मजबूती आई है। श्रीलंका के साथ हमने एक समझौता किया जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम तमिलनाडु और केरल के हितों की पूरी रक्षा करेंगे, हम यह आश्वासन देना चाहते हैं। नेपाल के साथ एक द्वाजित ट्रीटी हुई है जिससे कि भविष्य में इस संबंध में अनिश्चितता नहीं होगी। बांगला देश के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ हुये हैं। आज ढाका और कलकत्ता के बीच में बस सेवा शुरु करने का फैसला हो गया है। मुझे पाकिस्तान जाने का अवसर मिला। मैंने चलने वाली बस का लाभ उठाया। मुझे संतोष है कि हमारी अच्छी बातचीत हुई। वहां जो लाहौर डैक्लेरेशन हुआ तथा विदेश सचिवों के बीच में यह एक मैमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ, उसमें कुछ नये कदम उठाने की घोषणा की गई है। अब हम और पाकिस्तान दोनों अणु अस्त्रों से लैस देश हैं। अब मिलकर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। परमाणु हथियार, हमले का हथियार नहीं है, यह बचाव का हथियार है। यह ऐसा हथियार है जो शान्ति बनाये रखने में सहायक हुआ है। अगर शीत युद्ध के दिनों में शक्ति का संतुलन नहीं होता—बैलेंस ऑफ टैरर। तो एक पलड़ा एक तरफ झुक सकता था, एक पक्ष ज्यादाती कर सकता था। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी मुझसे पूछते थे कि आपने परमाणु परीक्षण उस वक्त क्यों किया, क्या सूझ-बूझ से तारीख तय की थी। हमने कहा हमने सूझ-बूझ से कदम उठाया लेकिन आप बतायें कि यह सब क्यों पूछ रहे हैं। हंस कर कहने लगे कि आपने ऐसा वक्त चुना जब हमारा फारेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे कम था, पाकिस्तान इसके कारण संकट में फंसा। हम भी संकट में फंसे। लेकिन जनता के सहयोग से, सदन की शुभकामना से हमने उस दबाव का सामना किया। यह इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, हम किसी भी संकट का सामना करने में समर्थ हैं। हम पाकिस्तान के साथ सब विषयों पर वार्ता करके मामले हल करना चाहते हैं। पचास साल में तीन बार लड़ाइयां हो चुकी हैं। अब लड़ाई को हमेशा के लिए रोकने का उपाय करना होगा। इसके लिये संवाद के अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई भी मसला हो, हम वार्ता के लिए तैयार हैं।

जब मैं पाकिस्तान में लाहौर में था तो उसी दिन राजीरी हत्याकांड की खबर आई। मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से उसी समय कहा कि 'अगर निर्दोष लोगों की हत्या का सिलसिला जारी रहा तो यह भिन्नता की जो बस है, वह उनकी लाशों के ढेर के आगे रुक जाएगी। ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी)

जब दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं तो किसी तरह के आतंकवादी और विदेशी आतंकवादी आजकल ज्यादा आ रहे हैं सीमा पार से, हमारे यहां न आए यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यह कहना कि दोनों देशों में जो घटनाएं होती हैं उसके लिए एक-दूसरे को दोष देने का सिलसिला चल पड़ा है, ठीक नहीं है। अपने लोगों को हम तो नहीं मार सकते। वे आपसी दुश्मनी के भी शिकार नहीं हुए, तो उन्हें मारने वाला कौन है? सीमा आपसे लगी है, आप रोकिये।

जो डिक्लेयरेशन हुआ है, उसमें दोनों देशों ने आतंकवाद से उसके सभी स्वरूपों में लड़ने का निश्चय व्यक्त किया है। शिमला समझौते में फिर से निष्ठा प्रकट की गई है। यह कहा गया है कि शिमला समझौते का हम लैटर और स्पिरिट दोनों में पालन करेंगे। इस शिकायत का अर्थ यह नहीं है कि हमने शिमला समझौते का महत्व घटा दिया। सचमुच में हमने शिमला समझौते का महत्व बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच विश्वास जमाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम वीजा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं। बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। मछुआरे पकड़ लिए जाते हैं। मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, खुद पकड़ में आ जाते हैं और महीनों तक जेल में पड़े रहते हैं। दोनों तरफ ऐसा होता है। लडाई के जमाने के लोग भी कैदी हैं। उनके सारे मामलों पर विचार करके रिहाई होनी चाहिए। आना-जाना बढ़े, व्यापार के रास्ते खुलें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें और साथ-साथ सारी समस्याओं को हल करने के लिए भी कदम उठाएं, इस बात की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि इसी तरफ दोनों देश आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं। सभी मुद्दों का एक-एक करके जवाब देना तो संभव नहीं होगा लेकिन कुछ मुद्दे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं मानता हूँ। परिवार नियोजन के संबंध में हमारी मिली-जुली सरकार की एक नीति है और हमारे नेशनल एजेण्डा में भी उसका उल्लेख किया गया है। जो कुछ हमने एजेण्डा में कहा है, मैं उसको यहां उद्धृत करना चाहता हूँ। हमारे शब्द इस प्रकार हैं -

“जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहनों एवं निरुत्साहनों का उपयुक्त एवं समझदारी पूर्वक सम्मिश्रण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता स्थापित की जा सके।”

सरकार ने एक दस्तावेज तैयार किया है परिवार नियोजन के बारे में। उस पर मंत्रिमंडल में थोड़ी सी चर्चा हुई है। हमने उसे मंत्रियों के एक छोटे से दल को विचार के लिए सौंप दिया है। प्रश्न नाजुक है और इस पर एक आम राय बनाना बहुत जरूरी है। वैसे जो विदेशी आते हैं वे सुनकर ताज्जुब करते हैं कि भारत में परिवार नियोजन सफलता के साथ चल रहा है और वृद्धि की दर जो 2.1 परसेंट थी, वह अब घटकर 1.85 परसेंट रह गई है। लेकिन घटने

के बाद भी प्रति वर्ष हम एक करोड़ 70 लाख की संख्या में बढ़ रहे हैं। यहां चीन से हमारी मित्रता है। कुछ प्रदेशों में परिवार नियोजन और भी सफलता के साथ चला है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इस मामले में पिछड़ रहे हैं। लेकिन यह ताज्जुब की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन प्रदेशों में परिवार नियोजन है, जो अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनकी लोक सभा की सीटें कम हो जाएं, लेकिन सीटें कम हो रही हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। सीटों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, हर प्रदेश के साथ वह जुड़ी होनी चाहिए और परिवार नियोजन के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। मुझे सोज साहब के भाषण को पढ़कर खुशी हुई, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि जम्मू-कश्मीर में आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम परिवार नियोजन में विश्वास करते हैं और जम्मू-कश्मीर में आबादी बढ़ नहीं रही है, यह गलत प्रचार हो रहा है। परिवार नियोजन के सवाल पर सब दलों को मिलकर बैठना होगा। राष्ट्रीय प्रश्न है। कोई दल अकेले या कोई सरकार अपने में इसका हल नहीं खोज सकती है। प्रश्न नीति के निर्धारण का है, प्रश्न कार्यान्वयन का भी है और इस दृष्टि से सभी दलों को विचार करना चाहिए कि किस तरह के कदम उठायें।

अध्यक्ष महोदय, कृषि नीति का दस्तावेज तैयार है। विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और थोड़े ही समय में कृषि नीति के संबंध में वह दस्तावेज सदन के सामने पेश कर दिया जायेगा। अनेक सदस्यों ने नई फसल बीमा योजना के लागू किये जाने में विलम्ब का प्रश्न उठाया है। अभी जा फसल बीमा योजना चल रही है, वह सारे किसानों का समावेश नहीं करती, वह सारी फसलों का भी समावेश नहीं करती। जो ऋण लेते हैं उन्हीं तक वह सीमित है। इन सारी कमियों को हम दूर करने जा रहे हैं और एक संशोधित बीमा योजना तैयार कर रहे हैं जो जो किसानों के हितों का संवर्धन करेगी। योजना लगभग तैयार है और इसे 1999 की खारीफ फसल से लागू करने का इरादा है। मंत्रिमंडल ने संशोधित योजना को लागू करना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। नई योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, जैसा मैंने कहा उसमें नई फसलें शामिल की जाएंगी और सभी किसानों को उसमें भागीदार बनाने का प्रयास होगा। जिन्होंने ऋण लिया है वे तो उसमें शामिल होंगे ही, मगर जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ या सूखे के शिकार हो जाते हैं, योजना उनका भी विचार करेगी। छः लाख किसानों को अभी तक क्रेडिट कार्ड दिये जा चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा जा रहा है कि अगले साल यह संख्या 20 लाख हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने अपने भाषण में डा. बाबा साहब अम्बेडकर का दिल्ली में स्मारक का मामला उठाया। डा. अम्बेडकर 26, अलीपुर रोड पर रहते थे। उस जगह को हस्तगत करके उसे स्मारक बनाने की बात है। यह कहना कि स्मारक के लिए अभी तक कोई धन खर्च नहीं किया गया है, ठीक नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 मार्च,

1997 को ही हमारे आने से पहले, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, उसी समय 1997 में 7.12 करोड़ रुपए भवन हस्तगत करने के लिए पेशगी के रूप में दे दिए गए थे, लेकिन हस्तगत करने, एक्वायर करने की जो नीति थी, उसको चुनौती दी गई। एक अन्तरिम आदेश में लैड एक्वीजीशन कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि जब तक रिट याचिकाओं का फैसला नहीं होता, तब तक क्षतिपूर्ति के एवार्ड की घोषणा न की जाए। तब से यह मामला अदालत में लटका हुआ है। हम इसे अदालत से जल्दी हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रालय एक-दूसरे से संपर्क में हैं। सम्पत्ति के मालिकों से भी बातचीत हो रही है। अगर पवार साहब का उनके ऊपर प्रभाव चले, तो वे उसको जरूर काम में लाएंगे। हम उसका स्वागत करेंगे।

यह कथन भी सही नहीं है कि दलितों के कल्याण के लिए निर्मित विभिन्न संस्थाओं के लिए धन आबंटित नहीं किया गया। 1997-98 में दलितों के लिए जो धनराशि रखी गई थी वह 611.77 करोड़ रुपए थी। इसमें से 610.24 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1998-99 में यह धनराशि बढ़ाकर 733.70 करोड़ रुपए रखी गई जिसमें से 12 मार्च, 1999 तक 609.56 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने डा. अम्बेडकर ओवरसीज फेलोशिप का भी उल्लेख किया था। जांच के बाद पता लगा है कि फाउंडेशन की गवर्निंग बाडी ने इस योजना को हमारी सरकार के आने से पहले ही 1997 में समाप्त कर दिया था, किन्तु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप स्कीम चल रही है और इसमें अनुसंधान करने वालों का वजीफा 6600 डालर से बढ़ाकर 7700 डालर कर दिया गया है। पहले यह प्रतिबन्ध था कि एक परिवार से दो लड़कों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के अन्तर्गत वजीफा मिले, अब इसको हटा दिया गया है। उत्तर पूर्व के राज्यों में इस संबंध में अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए जिनमें साक्षरता का प्रचार बहुत कम हुआ था, एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है। ऐसे 48 जिले छांटे गए हैं जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में साक्षरता का अनुपात केवल दो प्रतिशत है। इसके लिए अलग से धन आबंटित किया गया है और खर्चा भी किया जा रहा है। यह कहना भी सही नहीं है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए काम करने वाले एन. जी. ओज. को कोई धन आबंटित नहीं किया गया है सच यह है कि 1997-98 में 10 करोड़ 64 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए गए थे। हम इस राशि को आवश्यकता पड़ने पर और भी बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक मामला सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए गए, तो उनका स्वागत करने वालों में मैं भी था। जब पंडित जी ने उद्योगों की बड़ी प्रशंसा की और सरकार द्वारा पूंजी लगाने का एक अभियान शुरू हुआ, तो देश को यह आशा थी कि यह राष्ट्रीय संपत्ति होगी और यह राष्ट्र के कल्याण में सहायक बनेगी। लेकिन आज जो तरवीर है, उसे

देखकर चिन्ता होनी स्वाभाविक है। क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग इतनी बड़ी संख्या में बीमार पड़ते हैं, बन्द करने की नौबत आती है, घाटे में जाते हैं।

कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। उनके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बीमार उद्योगों का आज तक का घाटा 41,264.55 करोड़ रुपए है। कुल 236 सार्वजनिक उद्योग हैं जिनमें से 104 घाटे में चल रहे हैं। सबसे अधिक घाटा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। फर्टिलाइजर के अलावा टैक्सटाइल, कोयला और इस्पात उद्योगों में घाटा हो रहा है।

यदि तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उद्योग के मुनाफे को अलग कर दिया जाये तो सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध लाभ बहुत ही कम बचता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घट गये इसलिए हमारा लाभ बढ़ गया है। इन उद्योगों के बारे में गहराई से विचार करना होगा।

एक नीति हमें उत्तराधिकार में मिली थी और हम उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सब दलों के प्रमुख नेता और विशेषकर जो सार्वजनिक उद्योग से संबंधित हैं, मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, वे मिलकर बैठें और इस बात की मीमांसा करें कि सार्वजनिक उद्योग इस तरह से घाटे का सौदा कैसे बन गया।

इस बात का भी विचार होना चाहिए कि अगर कोई सार्वजनिक उद्योग बचाया जा सकता है, अगर उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, मजदूर काम पर लगे हैं, उन्हें किस तरह से अवकाश दिया जाये, यह विचार का एक अलग प्रश्न है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जो उद्योग चल सकते हैं, वे भी बीमारी पकड़ लें और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़े। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर सर्वानुमति की आवश्यकता है। हम किसी पूर्वाग्रह से बंधे हुए नहीं हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम व्यवहारवादी नीतियों को अपनाना चाहते हैं। आर्थिक विकास में मतवाद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। न वह देश के हित में है, न आम आदमी के हित में है। राष्ट्रहित सबसे बड़ी कसौटी है इसलिए जब कभी मैं देखता हूँ कि आर्थिक विकास में कोई कदम उठाने पर तो कहा जाता है कि यह देश को बेचने का कदम है तो मुझे दुख होता है भारत जैसे महान देश को कौन बेच सकता है और कौर खरीद सकता है ?

नीति के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, प्रमाणिक मतभेद हो सकते हैं। ई. एम. आर. हो या प्रोडक्ट पेटेंट हो, अभी-अभी उस पर बहस हुई है। जब हमारे वामपंथी मित्र केवल हमें इशारा करके ... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमने दोनों तरफ इशारा किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ घटर्जी : आप उनकी गलत नीतियां वफादारी से निभा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री नुपली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : वास्तव में, वह विरोध कर रहे थे ... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब वह विपक्ष में थे ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

सोमनाथ घटर्जी : लॉ कमीशन के बारे में क्या हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लॉ कमीशन की रिपोर्ट अपनी जगह है और संसद का फैसला अपनी जगह है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप उस पर चर्चा करवाइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा तो कर ही रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सार्वजनिक उद्योगों को चलाने के पक्ष में हैं। आई. डी. पी. एल. को किस तरह खड़ा किया जाए, इस संबंध में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अधिक मतवाद मत रखिए। जो नीति अब व्यवहारिक सिद्ध हो गई है, जो वाद संसार में पिट गए, यदि आप उसके बल पर चलेगें तो देश की मुख्य धारा से ... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ घटर्जी : आप सब यूनिट्स ठीक से चलायेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। ... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मुख्य धारा से कट जाएंगे। ... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ घटर्जी : हम उसमें मदद करेंगे। ... (व्यवधान)

हम आपको समर्थन देंगे, कृपया उन्हें सही तरीके से कार्य करने दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पिछले कुछ महीनों में ईसाई बंधुओं पर, उनकी संस्थाओं पर हमले हुये हैं। यह बड़े खेद का विषय है, बड़ी चिन्ता की बात है। यह ठीक है कि ऐसी घटनाओं की संख्या ज्यादा नहीं है लेकिन इस देश में ऐसी घटनाएँ क्यों होनी चाहिए? मीडिया का भी कर्तव्य है कि वह बढ़ा-चढ़ाकर इस तरह की घटनाएँ, जो लोगों को उत्तेजित करती हैं, उन्हें पेश नहीं किया जाना चाहिए। कभी-कभी घटनाओं की रिपोर्ट गलत साबित होती है। इलाहाबाद के एक दम्पति पर हमले का समाचार एक विश्व एजेंसी ने दिया था और बाद में उसी दम्पति ने इस हमले का खंडन किया और कहा कि हमारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि उस संवाद समिति ने कोई स्पष्टीकरण प्रकाशित किया या नहीं किया लेकिन सब ओर संयम से काम लेने की आवश्यकता है। इस देश में हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी,

जो संख्या में कम हैं, उनकी विशेष चिन्ता करने की जरूरत है। देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता, खतरे की घंटी है। हमारी संस्कृति सहिष्णुता पर कायम है। हमारी सभ्यता सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। सारे विश्व की चिन्ता करने वाले, सारे ब्रह्माण्ड की चिन्ता करने वाले भारत में अगर सम्प्रदाय के आधार पर लोग अनुभव करें कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या वे अपने को असुरक्षित अनुभव करें तो यह चिन्ता का विषय है और एक चुनौती भी है। जहां कहीं घटनाएँ हुई हैं, वहां अपराधी पकड़े गए हैं, उप पर मुकदमें चल रहे हैं। इसमें गुजरात भी शामिल है लेकिन उड़ीसा में जिस प्रमुख अभियुक्त का नाम लिया जा रहा है जिस पर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा है, वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के सारे देश में प्रयत्न हो रहे हैं, उसे कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। आस्ट्रेलियाई नागरिक को उनके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया, यह एक जघन्य कृत्य है। सारी दुनिया में अगर इसे लेकर हमारे विरुद्ध बातें कही जाती हैं तो हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। दुनिया में ऐसे तत्व हैं जो इसका भी राजनीतिक लाभ उठाना चाहेंगे, उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार का निश्चय है कि हरेक नागरिक की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना, विधि और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाना, इस मामले में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो और कोई संगठन कितना भी बलशाली हो, अगर वह कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कानून के अन्तर्गत ही व्यवहार होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार हो, यह हम देखेंगे। ... (व्यवधान) यह कहना ठीक नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है।

**अपराहन 2.00 बजे**

आखिर हमने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच मैच करके दिखा दिया है। दस साल पहले कांग्रेस की सरकार के जमाने में भी इसी तरह का संकट खड़ा हो गया था, मैच हो या न हो, मैच होगा तो उसमें बाधाएं डाली जायेंगी और कांग्रेस सरकार ने पूरे मैच की श्रृंखला रद्द कर दी थी, लेकिन हमने मैच कराया।

(व्यवधान) जो कलकत्ता की घटना है, वह अलग है। उसके लिए वाममार्गी सदस्यों को दोष नहीं देते हैं, लेकिन थोड़े से दोष के वे भागीदार जरूर हैं। कभी-कभी अचानक ऐसी घटनायें हो जाती हैं, जिनको रोकने की आवश्यकता है। ... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वे वाममार्गी और ये वाममार्गी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अरे, दोनों के बीच में आप कहाँ हैं - मोहन सिंह जी ? आप बिलावजह पिछलग्गू हो रहे हैं। हम भी हैं - कहाँ हैं आप?

श्री मोहन सिंह : आपके सामने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आमने-सामने के लिए हम तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं सभी सदस्यों से अपील करूँगा ... (व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी** : मैच के बारे में कलकत्ता में जो कुछ हुआ, उसका लाहौर में क्या इम्पैक्ट हुआ?

**अटल बिहारी वाजपेयी** : हम कलकत्ता में आकर बोलेंगे।

**श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली)** : अध्यक्ष महोदय, यह अटलजी का बड़प्पन है, उन्होंने कहा कि चर्चा का जवाब मैं दूँगी और वे केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारे नियमों ने न तो इसकी व्यवस्था है और नह अदब इसकी इजाजत देता है। हमारे नियमों 20, उपनियम (2) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्राइम मिनिस्टर के जवाब के बाद राइट-आफ-रिप्लाय न मूवर को होगा और न सैंकेंडर को होगा। लेकिन मैं एक कदम और आगे जाकर कहती हूँ कि अगर नियमों में यह व्यवस्था होती, तो भी अदब का तकाजा है कि प्रधान मंत्री जी के जवाब के बाद कोई न बोले। उन्होंने जिस खूबसूरती से इस पूरी चर्चा का समारूप किया है, उसका उत्तर दिया है, इसके बाद किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर माननीय सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूँ ?

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** : एक-एक करके नाम से सैप्रेट लीजिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य, क्या मैं सभी संशोधन एक साथ रखूँ।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, एक साथ नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन सिंह, आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** : श्रीमन्, बिहार के राष्ट्रपति शासन के संबंध में इस अभिभाषण में उल्लेख किया है। अब वहाँ स्थिति बदल गई है। मेरा संशोधन बिहार में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के बारे में है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि यह बहुत ही अनुचित होगा, जब वहाँ राष्ट्रपति शासन को रिवोक कर दिया गया है, तो उसका उल्लेख राष्ट्रपति जी से अभिभाषण में रहे। यह उनकी भी गरिमा के खिलाफ है और इस परम्परा के भी खिलाफ है। मैं आग्रह करूँगा कि

कम से कम उस पोर्शन को निकालने के संशोधन को स्वीकार कर ले, तो मैं अपने संशोधन पर बल नहीं दूँगा।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 से 8 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 से 41 तथा 328 और 329 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 63 से 81 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्री सी. कुप्पुस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 104 से 113 सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

**श्री एस्. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप शेष संशोधन एक साथ सभा में मतदान के लिए रख सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब प्रस्ताव पर अन्य सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 22 फरवरी, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्यों, आज आपको भोजनावकाश छोड़ना पड़ेगा। क्या सदन भोजनावकाश छोड़ने के लिए राजी है।

**काई माननीय सदस्य** : जी हाँ।